प्रारूप

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, http// : bsea.bihar.gov.in, **Email: bseapatna@gmail.com**

पटना/ दिनांक 07/09/2022

अधिसूचना

संख्या-नि०प्रा०/विधि 1-23/2021 1686 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-78 दिनांक 11.01.2021 द्वारा अन्य समितियों के साथ गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत बड़हरा पैक्स के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 393 दिनांक 13.02.2021 द्वारा स्थगित किया गया था। निर्वाचन स्थगित करने के पूर्व सूचना का प्रकाशन, नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की प्रक्रियाएँ संपन्न हो चुकी थी।

उक्त के आलोक में बड़हरा पैक्स के चुनाव को अधिसूचना संख्या-78 दिनांक 11.01.2021 के क्रम में स्थगन के प्रक्रम से निम्नवत निर्धारित किया जाता है।

(i)	मतदान, अगर आवश्यक हो	20.09.2022 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(ii)	मतगणना	20.09.2022 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(iii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	22.09.2022 (गुरूवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में बड़हरा पैक्स के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 14.09.2022 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाईट पर http://bsea.bihar.gov.in प्रपत्र-ई 18 को अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

5. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 22.09.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता**

से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ **122-129** पर देखा जा सकता है।

6. अधिसूचना संख्या 78 दिनांक 11.01.2021 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 1686 पटना/ दिनांक 07/09/2022

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 1686 पटना/ दिनांक 07/09/2022

प्रतिलिपि : आयुक्त, सारण प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), गोपालगंज/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), गोपालगंज/ पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज/ अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), कुचायकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), गोपालगंज से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), कुचायकोट को उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 1686 पटना/ दिनांक 07/09/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1686 पटना/ दिनांक 07/09/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 1686 पटना/ दिनांक 07/09/2022

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूप बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।